भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5888

उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

किशोरों की स्कूल में कम उपस्थिति

†5888. **श्री विजय कुमार हाँसदाक:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर अभी भी काफी अधिक बनी हुई है;
(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में किशोर इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें घरेलू आय में वृद्धि करने के लिए हाथ बंटाना पड़ता है, घर के कामकाज करने पड़ते हैं या उन्हें लगता है कि शिक्षा आवश्यक नहीं है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में स्कूल न जाने वाले किशोरों को प्रेरित करने और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) प्रणाली विकसित की है, ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों से संबंधित डेटा को दर्ज किया जा सके। ड्रॉपआउट दर की गणना शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर की जाती है। यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 11.5 है।

यूडाइज़+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में प्रगति हुई है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2024-25 के सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से इसकी पुष्टि होती है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुँच अनुपात (जीएआर) किसी वर्ष में कुल गाँवों/बस्तियों में से उन गाँवों/बस्तियों की संख्या है, जहाँ निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस)' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, जो छात्र कभी स्कूल नहीं जाते हैं या कभी-कभी भाग लेते हैं, लेकिन वर्तमान में स्कूल नहीं जाते हैं, उनके प्रमुख कारण घरेलू आय को बढ़ाना, घरेलू कामों में भाग लेना, शिक्षा को आवश्यक नहीं माना जाना आदि हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और ज़्यादातर स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 'समग्र शिक्षा' की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सहायता प्रदान करती है तथा 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना' के तहत बालवाटिका से लेकर 8वीं कक्षा तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम करने और दाखिले बढ़ाने के लिए अलग-अलग गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी दिया जाता है। इन गतिविधियों में सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नए स्कूल खोलना/मज़बूत करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, 12वीं कक्षा तक 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों' (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों' के नाम से आवासीय स्कूल/छात्रावास स्थापित करना, 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, दाखिला अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और नि:शुल्क यूनिफ़ॉर्म देना, परिवहन/सुरक्षा सुविधा आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों और साधनों के लिए भी वित्तीय सहायता/अनुदान दिया जाता है।

सरकार ने ड्रॉपआउट और शिक्षा के अन्य संकेतकों पर नज़र रखने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) और स्वचालित स्थायी शैक्षिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी को लागू करने जैसी पहल भी की हैं। वीएसके को ऐसी रणनीतियों के साथ विकसित किया गया है, जिनका उद्देश्य शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। वीएसके की एक मुख्य विशेषता ड्रॉपआउट छात्रों को ट्रैक करना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी करना, अधिगम के परिणामों की प्रगति और विभिन्न उपायों की रियल-टाइम निगरानी करना है; इन उपायों का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाना, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारना और शिक्षकों की जवाबदेही को बढ़ाना है। अपार, 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, एक 12-अंकों वाली आजीवन छात्र आईडी है जो आधार से जुड़ी हुई है।

स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए उनकी आयु-उपयुक्त दाखिला दिलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग, बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर- आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट की सुविधा भी दी जाती है। इसका उद्देश्य स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है, जिसमें एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान)/एसआईओएस (राज्य मुक्त विद्यालय संस्थान) के माध्यम से उनकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना भी शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-केंद्रित घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण और यंत्र, ब्रेल किट और किताबें, उचित शिक्षण-अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वज़ीफ़ा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
